पंजीकृत

संख्या-02/2017/1520/12-4-16-414/2016

प्रेषक,

मंजू लता सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कोषाधिकारी,
एटा।

कृषि अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक : 01 फरवरी, 2017

विषय :- स्व0 मनोज कुमार चौहान, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी (ऊसर सुधार योजना), एटा की चिकित्सा में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या-भू0सं0/चि0प्र0प0/2016-17/2509-ए, दिनॉक 14-12-2016 द्वारा शासन को प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2011 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्व0 मनोज कुमार चौहान, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी (ऊसर सुधार योजना), एटा का प्रदेश के बाहर, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च सेंटर, गुडगॉव, हरियाणा में दिनॉक 26-09-2013 से दिनॉक 27-11-2013 तक करायी गयी चिकित्सा में व्यय हुई कुल धनराशि रू0 6,15,688;00 (रूपये छः लाख पन्द्रह हजार छः सौ अटठासी मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित बिलों का भुगतान इससे पूर्व नही किया गया है तथा यदि इस निमित्त कोई चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया गया हो तो उसका समायोजन भी अवश्य कर लिया जाय।

3- प्रस्ताव से संबंधित प्रमाण पत्र/बिल बाउचर्स मूलरूप में संलग्न है।

4- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-62 के लेखा शीर्ष "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-आयोजनेत्तर-01-सिविल-800-अन्य-04-राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-402-दिनॉक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उनके आश्रितो की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

संलग्नक-यथोपरि।

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- 02/2017/1520(1)/12-4-2016, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) मुख्य चिकित्साधिकारी, एटा।
(3) कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी स्व0 मनोज कुमार चौहान, निवासी पानी की टंकी के पास अवागढ, जनपद एटा।

आज्ञा से,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।